कार्यालय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक :– 901 दिनांक :– 24/04/2023

आदेश

मैं, नरेन्द्र कुमार खत्री, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर–प्रथम दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 19 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस्सी मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–12, महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–15, महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–16 एवं विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट कैसेज) क्रम–11 में से किसी भी न्यायालय में पीठासीन अधिकारी का पदस्थापन नहीं होने तथा उक्त सभी न्यायालयों का अतिरिक्त कार्यभार न्यायालय ग्राम न्यायाधिकारी, बस्सी के पास होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुये, धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान लिये जाने हेतु पूर्व में जारी आदेश को इस आदेश की हद तक अतिलंघित करते हुये पुलिस थाना बस्सी, तूंगा व कानोता में उत्पन्न होने वाले फौजदारी प्रकरणों से संबंधित धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान लिये जाने हेतु निम्न सारणी के कॉलम संख्या–(iii) में अंकित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को एवं उनकी अनुपस्थिति में क्रमशः कॉलम संख्या (iv), (v) व (vi) में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निम्नानुसार अधिकृत करता हूँ:–

क्र0 सं0	आरक्षी केन्द्र का नाम, जिससे संबंधित धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु अधिकृत किया जा रहा है।	कॉलम संख्या–(II) में अंकित आरक्षी केन्द्र से संबंधित धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु अधिकृत पीठासीन अधिकारी	कॉलम संख्या–(III) में अंकित पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में, कॉलम संख्या (II) में अंकित आरक्षी केन्द्र से संबंधित धारा 164 दं.प्र. सं. के तहत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु अधिकृत पीठासीन अधिकारी	कॉलम संख्या–(IV) में अंकित पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में, कॉलम संख्या (II) में अंकित आरक्षी केन्द्र से संबंधित धारा 164 दं.प्र. सं. के तहत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु अधिकृत पीठासीन अधिकारी	कॉलम संख्या–(V) में अंकित पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में, कॉलम संख्या (II) में अंकित आरक्षी केन्द्र से संबंधित धारा 164 दं.प्र. सं. के तहत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु अधिकृत पीठासीन अधिकारी
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)
1.	बस्सी	Spl. MM (NI Act) 2	Spl. MM (NI Act) 3	Spl. MM (NI Act) 5	Spl. MM (NI Act) 7
2.	तूंगा	Spl. MM (NI Act) 3	Spl. MM (NI Act) 5	Spl. MM (NI Act) 7	Spl. MM (NI Act) 10
3.	कानोता	Spl. MM (NI Act) 5	Spl. MM (NI Act) 7	Spl. MM (NI Act) 10	Spl. MM (NI Act) 2

नोटः उपरोक्त कॉलम–III, IV, V व VI में अंकित किसी भी पीठासीन अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में धारा 164 दं.प्र.सं. के बयानों के संबंध में आदेश इस न्यायालय से प्राप्त किये जावेंगे।

यह आदेश दिनांक **25.04.2023** से प्रभावी होगा।

(नरेन्द्र कुमार खत्री)
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:–

क्रमांक :– 902 to 916 **दिनांक :–** 24/04/2023

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम।
02. श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक ए.टी.एस. जयपुर महानगर को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि समस्त आरक्षी केन्द्रों को निर्देशित करने का श्रम करें।
03. श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।
04. श्रीमान पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि समस्त आरक्षी केन्द्रों को निर्देशित करने का श्रम करें।
05. समस्त न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र।
06. श्रीमान् मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय/जयपुर जिला।
07. उपायुक्त पुलिस पूर्व/दक्षिण/ मुख्यालय/यातायात/जयपुर ग्रामीण
08. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर।
09. एस.एच.ओ., पुलिस थाना एस.एम.एस./जवाहर सर्किल/जवाहर नगर
10. सहायक निदेशक अभियोजन प्रथम/द्वितीय जयपुर।
11. दी बार एसोसिएशन, बनीपार्क/कलैक्ट्रेट/बस्सी/सांगानेर/चाकसू, जयपुर महानगर।
12. पुलिस कंट्रोल रूम जयपुर महानगर को प्रेषित कर लेख है कि समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किया जावे।
13. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. आदेश पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली।
15. नोटिस बोर्ड न्यायालय हाजा।

(नरेन्द्र कुमार खत्री)
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम